बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः–प्र02/सा0बि0पा0डि0कं0लि0–05/2014 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के वितरण प्रणाली के विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रॉन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं स्थापित वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की क्षमता विस्तार की 127.69 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में शेष राशि 47.69 करोड़ (सैंतालीस करोड़ उन्हत्तर लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

राज्य में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ट्रॉन्सफार्मरों के अत्यधिक भार को क्षमता के अनुसार कम करने तथा लोड के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए वितरण ट्रॉन्सफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के दर को कम करने के लिए लक्ष्यबद्ध ढ़ग से अतिभारित (Over Loaded) वितरण ट्रॉन्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने तथा साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वितरण ट्रॉन्सफार्मरों को स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 127.69 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 5.00 करोड़ रूपये राज्यादेश संख्या 5234 दिनांक 09.12.2014 के द्वारा प्रदान की गई है। विभागीय राज्यादेश संख्या 1722 दिनांक 22.06.2015 के द्वारा 10.00 करोड़ रूपये, विभागीय राज्यादेश संख्या 1914 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा 30.00 करोड़ रूपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या 2186 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा 35.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल राशि 80.00 करोड़ रूपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है तथा शेष राशि 47.69 करोड़ रूपये की मांग की गई है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के वितरण प्रणाली के विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रॉन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं स्थापित वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की क्षमता विस्तार की 127.69 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में शेष राशि 47.69 करोड़ (सैंतालीस करोड़ उन्हत्तर लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102– साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड–10–4801057890102 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047– साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०2/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2014 के पृष्ठ संख्या–07/टि0 पर दिनांक–02.12.2014 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०2/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–05/2014 के पृष्ठ संख्या–29/टि0 पर दिनांक–22.02.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/सा0बि0पा0डि0कं0लि0–05/2017 दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/सा0बि0पा0डि0कं0लि0–05/2017 619 दिनांक– 27/02/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।